न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रैक) जमवारामगढ, जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर 391/2002 पुराने व 91/2019

गंगासहाय

बनाम

रामनारायण

(प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी बाबत वाद पत्र को खारिज फरमाने)

निर्णय

दिनांक 28.8.2023

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया कि ग्राम श्री रामगोपालपुरा तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी जिला जयपुर में खसरा नम्बर 41/1 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा स्थित है जिसको खातेदार चुन्नीलाल पुत्र श्योबक्स ने दिनांक 22.8.1974 को वादी के हित में उपहार पत्र निष्पादित व पंजीबद्व करा दिया तथा उपहार पत्र में वादी के साथ रामसहाय पुत्र लादूराम का नाम गलती से लिख दिया गया । जबकि लादूराम के रामसहाय नाम का कोई पुत्र ही नहीं था । चुन्नीलाल ने उपहार पत्र मे अपनी सम्पत्ति अकेले वादी को ही दी थी । उपहार के नामान्तकरण मे रामसहाय के स्थान पर रामनिवास के नाम हिस्सा 1/2 की खातेदारी दर्ज कर दिया गया जिसके आधार पर रामनिवास उर्फ रामनारायण ने अपने खातेदारी अनुसार विवादित भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के हित मे कर दिया । वादीगण को जब उक्त कार्यवाही की जानकारी हुई तो उन्होनें प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदारी दुरूस्त कर वादीगण के नाम कराने को कहा तो अप्रेल 2001 में प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बैईमानी आ जाने के कारण भूमि की खातेदारी कराने से मना कर दिया, जिसके कारण वाद घोषणा प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया कि प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के पक्ष मे किया गया विक्रय वादीगण के मुकाबले प्रभाव शून्य घोषित किया जावें ।

उक्त प्रकरण विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की ओर से दावे के विरूद्ध दिनांक 17.2.2020 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी बाबत वाद पत्र को खारिज फरमाने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विचाराधीन वाद में विवादित भूमि के संबंध में खातेदार चुन्नीलाल पुत्र श्योबक्स अपने जीवनकाल में अपनी पुत्री के पुत्र गंगासहाय, रामसहाय पुत्रान लादूराम के हित मे उपहार पत्र निष्पादित कराते हुये दिनांक 22.8.1974 को उप पंजीयक के समक्ष उपस्थित होकर अपने बयानात सहित पंजिबद्ध करा दिया जिसके विरूद्ध वाद सुनवाई करने का क्षैत्राधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को नहीं है तथा राजस्व न्यायालय द्वारा

उक्त पंजीबद्ध उपहार पत्र को शून्य प्रभावी घोषित करने का क्षैत्राधिकार भी नहीं है एसी स्थिति में वादी किसी प्रकार की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है जिससे विचाराधीन वाद मात्र बार्ड बाई लॉ अर्थात विधि विरूद्ध है जो कि खारिज करने योग्य है ।

वादी के पिता लादूराम के 3 पुत्र संतान नही थे, एक वादी गंगासहाय स्वयं एवं एक रामसहाय उर्फ रामनिवास उर्फ रामनारायण तथा एक अन्य जगदीश थे जिनका पैतृक गॉव थौलाई है तथा नीमला मे नाओलाद संतान अपने नाना चुन्नीलाल के यहा आकर रहने पर रामनारायण को ही रामसहाय उर्फ रामनिवास नाम से बुलाने लगे, जिससे उपहार पत्र मे रामनारायण का नाम रामसहाय पिता लादूराम अनुसार अंकित कर दिया गया तथा खाता खतौनी मे राजस्व इन्द्राज रामनिवास पिता लादूराम अनुसार कर दिया गया, जो कि एक सहवन से भूलवश इन्द्राज रहा है । जिसके आधार पर चून्नीलाल द्वारा निष्पादित व पंजिबद्ध उपहार पत्र के विरूद्ध किसी भी प्रकार का निर्णय पारित करने का क्षैत्राधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को नहीं होने के कारण विचाराधीन प्रकरण को इसी स्तर पर मात्र खारिज किया जाना ही उचित व विधि सम्मत है । चुन्नीलाल द्वारा अपनी खातेदारी अनुसार निष्पादित व पंजीबद्ध उपहार पत्र के आधार पर राजस्व इन्द्राज खातेदार रामनिवास पुत्र लादूराम अर्थात रामसहाय उर्फ रामनारायण पुत्र लादूराम ने अपने खातेदारी कब्जे काश्त अनुसार भूमि वादग्रस्त के संबंध मे मिन प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 7 व 8 रामफूल, जगदीश पिता भगवानसहाय जाति मीणा के हित में दिनांक 17.5.2000 को विकय पत्र निष्पादित करते हुए उप पंजीयक जमवारामगढ मे पंजीबद्ध करा दिया जिसके अनुसार मौके पर विधिवत कब्जा एवं मालिकाना स्वामित्व हस्तांतरण कर दिया जो कि विचाराधीन प्रकरण में मिन प्रतिवादीगण के हित मे पंजीबद्ध विकय पत्र के विरूद्ध किसी भी प्रकार का निर्णय पारित करने का क्षैत्राधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को नहीं है । किसी भी पंजिकृत दस्तावेज जैसे उपहार पत्र, विकय पत्र, इकरारनामा आदि को प्रभाव शुन्य घोषित करने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे आता है । अतः उक्त प्रकरण को मिन प्रतिवादी विरूद्ध इसी स्तर पर अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज फरमाया जाना अपेक्षित है।

वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा खातेदारी घोषणा का है जिसकी सुनवाई का क्षैत्राधिकार मान्य न्यायालय को है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 88 व 207 के तहत खातेदार घोषित कर शुन्य प्रभावी उपहार पत्र को भी शुन्य किया जा सकता है । दावा खातेदारी घोषणा का है तथा अनुतोष भी खातेदारी घोषणा का है तथा जो तथ्य प्रतिवादी को अपने जवाब दावे में लाना चाहिए व तथ्य प्रार्थना पत्र के माध्यम मे तय नहीं किये जा सकते है। 2016 से प्रतिवादी जवाब दावा पेश न कर प्रकरण को देरीना करने की गरज से पेश किया है जो खारिज किया जावें । वादी

प्राथना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की मद संख्या 3 मे जिस प्रकार वर्णित किया है अस्वीकार है तथ्य व विधि के तथ्यो का निस्तारण वाद तनकी निर्णय किया जाना आवश्यक है, अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावें ।

वकील उभय पक्षो के कथनों को मध्य नजर रखते हुये हमने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनी वकील प्रतिवादी ने अपने उक्त कथनो के समर्थन मे कहा कि वादी अपने वाद मे अकेले हित में उपहार पत्र निष्पादित होना एवं रामसहाय पुत्र लादूराम का नाम सहवन से अंकित होना कहते हुए वाद प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा होता तो उसके लिये भी विकय पत्र मे संशोधन हेतु सिविल न्यायालय में वाद ही पेश किया जा सकता है इसके अलावा प्रस्तुत एवं शामिल उपहार पत्र में अंकित तथ्यो को बगैर अवलोकन मे गंगासहाय, रामसहाय पुत्र लादूराम मीणा अधिवासी ग्राम थौलाई को उपहार गृहितागण से संबंधित किया गया है जिसमें उपहार गृहितागण बहुवचन मे है । आगे अंकित किया गया खसरा नम्बर 41 रकबा 24 बीधा 15 बिस्वा को सर्वथा कथित उपहार गृहिताओ को दान कर दिया है । दान की गई भूमि पर दानगृहितागण का समान समान रूपेण दानगृहितागण बहुवचन संबोधित करते हुए समान समान हक अधिकार होना भी कथित किया गया है

वकील उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो व जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर मनन किया । वाद में अंकित भूमि पंजीबद्ध भूमि है पंजीबद्ध दस्तावेजो के आधार पर आई भूमि को शुंन्य प्रभावी घोषित करने का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को निहित नहीं है अतः उक्त विचाराधीन वाद मात्र बार्ड बाई लॉ अर्थात विधि विरूद्ध होने तथा वाद पोषनीय नहीं होने से गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी विरूद्ध वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है प्रकरण मे उक्त निर्णय पारित कर डिकी किया जाता है। डिकी पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.8.2023 को खुले इजलास में सुनाया गया

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ